TR-1094
26/07/2017

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याः आर/ 496 /2017
दिनांकः 25.07.2017

अधिसूचना

एतद्द्वारा समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध महाविद्यालय डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक दिनॉक 22.06.2017 की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में कार्य परिषद की बैठक दिनॉक 28.6.2017 के कार्य सूची संख्या 21 द्वारा परीक्षा अध्यादेश में निम्नवत् संशोधन को दिनॉक 01.7.2017 से प्रभावी किये जाने का निर्णय लिया गया है–

'कार्य परिषद द्वारा विद्या परिषद की बैठक दिनॉक 22.06.2017 के कार्य सूची संख्या 02 के अर्न्तगत निम्न संशोधनों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया हैं–

1. अंग्रेजी भाषा, हिन्दी भाषा, संस्कृत भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में लागू किया जायेगा ।
2. स्नातक स्तर पर राष्ट्र गौरव, पर्यावरण अध्ययन एवं शारीरिक शिक्षा के स्थान पर प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण के नाम से एक प्रश्नपत्र में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। यदि छात्र प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, ऐसे छात्रों को तृतीय वर्ष में इस प्रश्नपत्र में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी ।
3. शारीरिक शिक्षा को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लागू किया जाय (बी.0कॉम0 को छोडकर) ।
4. वाणिज्य संकाय को छोडकर स्नातक प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में छात्र तीन विषयों का अध्ययन करेगा तथा तृतीय वर्ष में केवल दो विषयों में ही अध्ययन करेगा ।'

कार्य परिषद द्वारा पूर्व (पुराने) सम्बन्धित अध्यादेश को 01.07.2017 से निष्प्रभावी भी मानने/करने की सहमति प्रदान की गयी ।

कुलसचिव

प्रतिलिपि

1 समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध डा0बी0आर0अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने महाविद्यालय के समस्त छात्र/छात्राओं के मध्य उक्त अधिसूचना को प्रसारित करने तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
2 वित्त अधिकारी ।
2 समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष ।
3 समस्त निदेशक डा0बी0आर0अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा ।
4 समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव ।
5 समस्त अधीक्षक ।
6 सम्पादक, दैनिक अमर उजाला, दैनिक जागरण ,हिन्दुस्तान, डी न्यूज, स्वराज टाइम्स को इस आशय से कि वे छात्र हित में अपने सम्मानित समाचार पत्र में उक्त को निशुल्क विज्ञापित करने का कष्ट करें ।
7 प्रभारी वेबसाइट को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8 अधीक्षक कुलपति सचिवालय को कुलपतिजी के संज्ञानार्थ ।

कुलसचिव